उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-128/2015/8050/62-2-2015-04एम0आई0/2014
लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर,2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-527/62-2-2015-04एम0आई0/2014, दिनांक 17-03-2015 द्वारा श्री अभिराम प्रसाद वर्मा तत्कालीन सहायक अभियंता, जालौन स्थान उरई सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लधु सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरूद्व जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में बरती गयी अनियमितताओ हेतु उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत आरोप पत्र देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय को जॉच अधिकारी नामित करते हुए एक माह के भीतर जॉच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। श्री पी0के0 श्रीवास्तव दिनांक 31-8-2015 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो चुके है।

2- अत: उक्त के दृष्टिगत रखते हुए श्री पी0के0 श्रीवास्तव के स्थान पर श्री नार सिंह, अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई मुख्यालय को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। श्री नार सिंह, अधीक्षण अभियंता/जॉच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत मामले में जॉच कार्यवाही पूर्ण करके एक माह के भीतर जॉच आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-128/2015/8050(1)/62-2-2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री नार सिंह, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय, लखनऊ/जॉच अधिकारी।
3- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
5' गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in